18/6/19 पत्रावली पेश हुई। वादीगण के वकील वादीगण के उपस्थित नहीं आये। का. पा. आवाज लगायी गयी। अब बहस के लिए बन्द है। अन्तिम बार आवाज लगायी गयी के उपस्थित नहीं आये ना ही कोई प्रीफिक्स टेलर ही उपस्थित हुआ। अतः वादीगण के वाद को अनुपस्थिति अथवा इकतरफा खारिज किया जाता है। फैसला सुनाया गया। खर्चे का खर्चा वादग्रस्त सम्पत्ति का लेखकर्ता ही भुगतान करेगा।